कार्यालय लैण्ड एण्ड गार्डन अलीगढ मुस्लिम विश्वविधालय अलीगढ

नीलाम नोटिस नं0 09/2015–2016/लाहा व बरसीम की फसलों का नीलाम

सर्वसज्जनों को सूचित किया जाता है कि लाहा व बरसीम की फसलों का नीलाम दिनांक **14.11.2015** को प्रातः **11.00 बजे** कार्यालय लैण्ड एण्ड गार्डन्स विभाग परिसर में होगा। इच्छुक व्यक्ति समय पर आकर बोली बोल सकते हैं। लाहा व बरसीम की सूची इस प्रकार है ।

कमांक	बीघा	फसल	स्थिति
01.	18+15+9=42 बीघा	लाहा की फसल	नगला किले के पास
02.	18+9=27 बीघा	लाहा की फसल	मोती पोखर के पास
03.	30+22=52 बीघा	बरसीम की फसल	अमरूद के बाग के पास

शर्तें:

1. इच्छुक व्यक्ति फसल को नीलामी से पूर्व भली भांति देख लें बाद में किसी भी प्रकार का भ्रम मान्य नहीं होगा।
2. प्रत्येक व्यक्ति को बोली बोलने से पूर्व रु0 10000/– बतोर जमानत धनराशि 1 घंटे पहले जमा करनी होगी।
3. जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी उसकी जमानत राशि रोक ली जायेगी और उसे नीलाम की किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।
4. नीलाम मंजूर होने के तुरन्त बाद ठेकेदार को नीलाम की कुल रकम का 50 प्रतिशत जमा करना होगा तथा बरसीम की फसल का शेष 50 प्रतिशत 31 जनवरी 2016 तक जमा करना होगा।
5. जिन व्यक्तियों के नाम बोली नहीं छूटेगी उनकी जमानत राशि नीलाम कमेटी के आदेशानुसार वापस कर दी जायेगी।
6. नीलाम की गई फसलें ठेकेदार को तुरन्त अपने अधिकार में लेनी होंगी। नीलामी के बाद हुये नुकसान का ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। विश्वविधालय की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।
7. ठेकेदारों को लाहा व बरसीम की फसलों के खेत 15.04.2016 तक हर हालत में खाली करने होगा!
8. ठेकेदार को नीलामशुदा फसल में किसी भी प्रकार का पालतू जानवर रखने या उसको चराने का कोई अधिकार नहीं है अन्यथा किसी भी तरह हुये नुकसान का पूर्णतः उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
9. समय से किश्त जमा न करने पर पूर्व में जमा किया गया रुपया जमानत राशि सहित विश्वविद्यालय के हक़ में ज़ब्त कर लिया जायेगा और ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय को ज़ब्त की गयी फसल का पुनः नीलाम करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस पर ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
10. नीलाम की गई फसल को पानी आवश्यकतानुसार सीवर या विश्वविद्यालय के नलकूप से दिया जायेगा। किसी कारण बिजली न आने या नलकूप में खराबी होने पर विश्वविद्यालय पानी देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही विश्वविद्यालय की कोई ज़िम्मेदारी होगी। यदि फसल को पानी दिया गया तो उसकी कीमत 50/– रू प्रति बीघा बरसीम व 20/– लाहा की फसल के हिसाब से अलग से देनी होगी !
11. नीलाम लेने वाले व्यक्ति को स्वयं द्वारा अदालत से खरीदे गये 100/– रुपये के स्टाम्प पेपर पर विश्वविद्यालय के साथ शर्तो के अनुसार नीलाम के तुरन्त बाद लिखित एग्रीमेंट कराना होगा।
12. नीलाम कमेटी को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बताये सर्वोच्च बोली को स्वीकार करे या न करे या नीलाम को स्थगित करे।
13. नीलाम का अन्तिम निर्णय नीलाम कमेटी में निहित होगा।
14. किसी भी तरह का विवाद अलीगढ़ न्यायालय क्षेत्र तक सीमित होगा !

D.No. 1185/LGS
7/11/15

मेंम्बर इन चार्ज
लैण्ड्स एण्ड गार्ड्न्स
ए0एम0यू0 अलीगढ़
Member-in-Charge
Lands, Gardens & Parks
A.M.U., Aligarh
06/11/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. रजिस्ट्रार, अ0मु0वि0, अलीगढ़
2. फाइनेन्स ऑफिसर, अ0मु0वि0, अलीगढ़
3. परचेज़ आफिसर, अ0मु0वि0, अलीगढ़
4. इंचार्ज, ए0एम0यू0 फार्म को विस्तृत वितरण हेतु
5. ज़िला कृषि अधिकारी, अलीगढ़
6. नोटिस बोड पर चस्पा हेतु
7. प्रोक्टर , अ0मु0वि0, अलीगढ़
8. मैंनेजर, लैण्ड एण्ड गार्ड्स

मेंम्बर इन चार्ज
Member-in-Charge
Lands, Gardens & Parks
A.M.U., Aligarh
06/11/15